बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (II) नया पो॰ सं॰–03 / 2006– / पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– नालन्दा जिलान्तर्गत नवनिर्मित राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां के चहारदीवारी, पहुँच पथ, नाला एवं पुलिया का निर्माण तथा परिसर विकास कार्य हेतु कुल रू॰ 3,44,78,000=00 (तीन करोड़ चौवालीस लाख अठहतर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–12196(भ) अनु, दिनांक 19.12.2016 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तथा विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक 09.01.2017 को सम्पन्न बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में नालन्दा जिलान्तर्गत नवनिर्मित राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां के चहारदीवारी, पहुँच पथ, नाला एवं पुलिया का निर्माण तथा परिसर विकास कार्य हेतु कुल रू॰ 3,44,78,000=00 (तीन करोड़ चौवालीस लाख अठहतर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजना व्यय आय–व्ययक के मुख्यशीर्ष – 4202–शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष– 02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0108–पोलिटेकनिक भवन (निश्चय) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड–P 4202021040108 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत / विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ होगें।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, नालन्दा (बिहारशरीफ) से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त जिम्मेवारी संस्थान के प्राचार्य तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰ / –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) नया पो॰ सं॰–03 / 2006– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) नया पो॰ सं॰–03 / 2006– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, नालन्दा (बिहारशरीफ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) नया पो॰ सं॰–03 / 2006– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) नया पो॰ सं॰–03 / 2006– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) नया पो॰ सं॰–03 / 2006– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) नया पो॰ सं॰–03 / 2006– 161 /पटना, दिनांक– 24-1-2017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.17

सरकार के उप सचिव

23/01/17